न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 239/2008
उदयशंकर बनाम सतेन्द्र कुमार

04.10.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 37क2 के निस्तारण हेतु नियत है।

प्रार्थनापत्र 37क2 वादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि लिखने–पढ़ने व टाइपिंग की गलती से प्रतिवादी सं0 1 व 2 के बल्दियत गलत दर्ज हो गयी है, जिसे वादपत्र में दुरूस्त करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र 37क2 वादी द्वारा, वादपत्र में संशोधन करने के आशय से दिया गया है। चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही कोई नया केस सेटअप होगा, बल्कि वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 37क2 न्यायहित में हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 37क2 मु0 50/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 09.11.2017 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती